न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 218/2006 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. मुकेश कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डावर,
2. खगेन्द्रसिंह उर्फ सोनू पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डावर जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. दुर्गा प्रसाद पुत्र उमराव जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डावर जिला अलवर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर ।
3. शाखा प्रबन्धक दी सैण्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि0 अलवर राज0 ।

..... प्रति0/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री जनार्दन शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3. श्री विनोद कुमार यादव राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2

::: निर्णय :::

दिनांक :–11.07.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद तकासमा आराजी व हुक्म ईम्तनाई दवामी दफा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल ख0 नं0 1483 रकबा 1.21 है0, 1484 रकबा 1.34 है0, 1485 रकबा 1.19 है0, 1486 रकबा 0.62 है0, 1487 रकबा 0.33 है0, 1488 रकबा 0.43 है0, 1508 रकबा 0.32 है0, 1510 रकबा 0.10 है0, 1511 रकबा 0.05 है0, 1512 रकबा 0.42 है0, 1509 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम गांधी नगर तहसील मुण्डावर में स्थित है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 सह खातेदार काश्तकार है । वादीगण व प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

सं0 1 को यह भूमि पैतृक दादालाई सम्पति होने के कारण पक्षकारों को विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का 1/2 भाग व प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 भाग खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी है । इस भूमि का हम पक्षकारान ने अपनी–अपनी सहूलियत के अनुसार मौके पर बांहमी बंटवारा काफी समय पूर्व कर लिया और उसी बाहमी बंटवारा के अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जिस बाहमी बंटवारा में ख0 नं0 1483, 1486, 1488, 1512 सालिम व 1484 रकबा 1.34 है0 में से 1 बीधा 5 बिस्वा तरफ उत्तर तथा ख0 नं0 1509, 1510, 1511 में से 1/2 भाग वादीगण के हिस्से व कब्जे में आया और मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, शेष आराजी प्रतिवादी सं0 1 के कब्जे काश्त में हैं जिस पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । विवादित आराजी में पक्षकारान का बुजुर्ग उमरावसिंह फौत होने के बाद उक्त आराजी मृतक उमरावसिंह की बेवा पत्नी मु0 पतासी उर्फ पार्वती के नाम विरासत दर्ज हो गई और पक्षकार शामलात में ही रहते थे । शामलात में ही काश्त करते थे तो आराजी ख0 नं0 1509 को छोड़कर शेष आराजी पर प्रतिवादी सं0 3 में मु0 पतासी उर्फ पार्वती बेवा उमरावसिंह ने कृषि कार्य हेतु ऋण लिया था और विवादित आराजी को प्रतिवादी सं0 3 के यहां बिला कब्जा बंधक रख दिया था । उस समय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का संयुक्त परिवार था तथा संयुक्त परिवार विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करता था । इसलिए उस समय लिया गया ऋण संयुक्त परिवार के सदस्यों के समभाग में देना था लेकिन इस ऋण को हम वादीगण द्वारा कुछ किस्त भरी हैं । प्रतिवादी सं0 1 अलग होने के कारण से उक्त ऋण की अदायगी नहीं कर रहा है तथा बाहमी बंटवारा के समय ख0 नं0 1508 के पश्चिम दिशा में आने जाने का रास्ता रखना तय किया था तथा इस रास्ते में भी प्रतिवादी सं0 1 को आने जाने में रूकावट करता है तथा काश्त करने में मजाहमत पैदा करता है जिसके कारण शामलात में काश्त करना सम्भव नहीं है । इसलिए विवादित आराजी के अलग–अलग खातेदार कायम करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वादीगण का वाद दि0 15.9.2006 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 15.9.2006 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि दोनों पक्षकारान ख0 नं0 1508 के पश्चिम की डोल से रास्ता कायम कराकर अपनी–अपनी आराजी पर जाने को सहमत थे, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से आराजी ख0 नं0 1508 में से चार फुट एवं 1512 में से चार फुट जमीन दोनों नम्बरों के बीच की डोल से छोड़ने के आदेश गलत पारित किये हैं । ख0 नं0 1508 के तरफ पश्चिम की डोल के सहारे–सहारे रास्ते दिये जाने बाबत किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं थी । तहत न्यायालय के समक्ष बहस में जाहिर किया था कि सरकारी सड़क से ख0 नं0 1508 के पश्चिम डोल तक कदीमी रास्ता है तथा सरकार सड़क से उभयपक्षों को ख0 नं0 1508 के

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

पश्चिम में रास्ता ज़ारी करने का निवेदन किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता कायम किया है उस रास्ते तक वादीगण/अपीलांट नहीं पहुंच सकते क्योंकि सरकारी सड़क एवं ख0 नं0 1508 व 1512 के बीच की डोल तक पहुंचने तक बीच में अन्य लोगों के खेत है जो किसी भी सूरत में नहीं आने देते किन्तु तहत न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी उनकी शामलात कब्जे काश्त की दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें अपीलांट का 1/2 भाग व रेस्पो0 सं0 1 का 1/2 भाग खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । तहत न्यायालय ने तकासमें के अनुसार खाते सही अलग–अलग किये हैं । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2059–62 अनुसार विवादित आराजी के वादीगण व असल प्रतिवादी सं0 1, 1/2–1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हैं तथा ख0 नं0 1509 गै0मु0 आबादी वो ग्राम गांधी नगर मुण्डावर के भी पक्षकार इसी प्रकार सह खातेदार काश्तकार काबिज आराजी दर्ज रेकार्ड हैं । वादीगण ने अपने वाद में बाहमी बंटवारा होना दर्ज किया है जिसे असल प्रतिवादी ने भी स्वीकार किया है । वादीगण के वाद में विवादित आराजी पर कृषि कार्य हेतु लिये गये ऋण को बराबर हिस्से में भरने का कथन करना जाहिर किया है तथा ख0 नं0 1508 में से वादीगण को आने–जाने के रास्ते का कथन किया है जबकि इन दोनों कथनों को प्रतिवादी सं0 1 ने अपने जवाब में अस्वीकार करते हुए बाहमी बंटवारा में ख0 नं0 1508 में रास्ता होना अस्वीकार किया है । विवादित आराजी जिस पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर मौके पर काश्त कर रहे हैं । उक्त कथनों की पुष्टि प्रतिवादी सं0 1/रेस्पो0 सं0 1 ने अपने जवाब में भी की है । इसलिए मुताबिक आपसी सहमति से अधीनस्थ न्यायालय ने जो वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया है उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं और अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2006 यथावत रखी जाती है । खर्चा अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner